



सी.जी.-डी.एल.-सा.-06012020-215175 CG-DL-W-06012020-215175

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 51]

नई दिल्ली, दिसम्बर 22—दिसम्बर 28, 2019, शनिवार/ पौष 1—पौष 7, 1941

No. 51]

NEW DELHI, DECEMBER 22—DECEMBER 28, 2019, SATURDAY/PAUSHA 1—PAUSHA 7, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

#### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.366.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (योद्यक परा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2011 को जहां तक उनका संबंध सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय

	Competent Authority is of the opinion that sufficient
* * *.	number of candidates belonging to these communities
	possessing the requisite experience are not likely to be
8	available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct
qualifications prescribed for direct		recruitment or by promotion or by deputation
recruits will apply in the case of		/absorption and percentage of the vacancies to
promotes		be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in
recruitment by		which Union Public
promotion or		Services
deputation or		Commission is to be
absorption grade		consulted in making
from which		recruitment
promotion or		
deputation/		
absorption to be		No. of the last of
made,		
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Group- 'C' Departmental Confirmation Committee ( for considering	Not applicable
	confirmation ) consisting of:-	9
	1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital,	<
	New Delhi - Chairman	
	2. Deputy Director Administration, Kalawati Saran Children's Hospital	P
	- Member	
	3. Deputy Director Administration of the Medical Hospital Section,	
	Directorate General of Health Services - Member	

[F.No. A.11018/22/2019-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

## (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.368.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में विकिरण सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, विकिरण सुरक्षा अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन	सीधी भर्ती किए जाने
		s		पद	वाले व्यक्तियों के लिए
		- 1		e û	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विकिरण सुरक्षा	*2 (2019)	साधारण	वेतन मैद्रिक्स में स्तर-7	चयन	लागू नहीं होता
अधिकारी	(*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(44900-142400 रुपये)	12 x)	* *
	आधार पर	समूह 'ख',	, ,	*	
	परिवर्तन किया जा	अंराजपत्रित,	<sub>V</sub> 8	-	
	सकता है)	अननुसचिवीय	6 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में
द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे		किन
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया		परिस्थितियों
जाएगा	* u *	में संघ लोक
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		सेवा आयोग
		से परामर्श

		किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोक्तिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400- 112400 रुपए) में ऐसे रेडियोआइसोटोप्स के प्रयोगशाला तकनीशियन से प्रोन्नित जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पणः जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए)  निम्निलिखित से मिल कर बनेगी:  1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष;  2. विकिरण विज्ञान के विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;  3. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य  4. उप निदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी		
कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):		
(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:		
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400) के पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और		
(ख) निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नाभिकीय चिकित्सा तकनीक में बेचलर की डिग्री; या		
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान विषय में बेचलर की डिग्री तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नाभिकीय चिकित्सा तकनीक में स्नातकोत्तर की डिग्री या डिप्लोमा		

या चिकित्सा रेडियो-आइसोटोप तकनीक में डिप्लोमा।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. ए.12018/17/2016-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

#### (DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 19th December, 2019

- **G.S.R. 368.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Radiation Safety Officer, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Radiation Safety Officer (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
  - 4. Disqualification.—No person, -
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
    - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

# **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post
			.*	or non-selection post
(1)	(2)	. (3)	(4)	(5)
Radiation Safety	2* (2019)	General Central	Level-7 in the pay	Selection.
Officer.	(*Subject to variation	Service, Group 'B',	matrix (44900-	
	dependent on	Non-Gazetted,	142400).	•
	workload)	Non- Ministerial		6

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

	Whether age and	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by
educational qualifications			promotion or by deputation / absorption and percentage of
	prescribed for direct		the vacancies to be filled by various methods
	recruits will apply in the		
	case of promotees		1
	(8)	(9)	(10)
	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short
		8	term contract)

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in which
deputation or absorption grade from	what is its composition.	Union Public Service
which promotion or deputation /	1	Commission is to be
absorption to be made.		consulted in making
1		recruitment.
. (11)	(12)	(13)
Promotion:	Group-B Departmental Promotion	Consultation with the
Promotion from Laboratory Technician	Committee (for considering promotion),	Union Public Service
for Radioisotopes with five years	consisting of:	Commission is necessary.
regular service in level-6 in the pay	1. Additional Medical Superintendent,	
matrix (Rs. 35400-112400).	Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman;	
Note: Where juniors who have	Sardaryang 1100ptian, 110 in 20 ini	
completed their qualifying or eligibility	2. Head of Radiology Department, Safdarjung	
service are being considered for	hospital -Member;	
promotion, their seniors would also be	inospitai ivielitooi,	
considered provided they are not short	3. Deputy Director in charge of Medical	
of the requisite qualifying or eligibility	Hospital Division, Directorate General of Health	
service by more than half of such	Services -Member:	
qualifying or eligibility service, or two	4. Deputy Director Administration, Safdarjung	
years, whichever is less, and have	Hospital -Member.	
successfully completed their probation	Wellioti.	
period for promotion to the next higher		
grade along with their juniors who have		
already completed such qualifying or		
eligibility service.		
Deputation (including short term		
contract):	v *** w	
(I) Officers under the Central or State	•	
Government or Union territories or	* · ·	
autonomous or statutory organisations		
or public sector undertaking or	* *	N.
University or recognised research		
institution:		
(a) (i) holding analogous posts on	*	
regular basis; or	a A	

- (ii) with five years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400); and
- (b) possessing the following qualifications and experience :
- (I) Bachelor's degree in Nuclear Medicine Technology from a recognised University or institute; or
- (II) A bachelor's degree in Science from a recognised University or institute and Post Graduate degree or Diploma in Nuclear Medicine Technology or Diploma in Medical Radio-Isotope Technology from a recognised University of institute.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another Excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(F. No. A.12018/17/2016-MH-II) G. P. SAMANTA, Under Secy.

#### नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सा.का.िन.369.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध विद्युत तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विद्युत तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (विद्युत तकनीशियन) भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।